औराई

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

124/2021/225 रामेश्वर बनाम रघुनाथ व अन्य

तारीख पेशी	2021/124 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री श्री	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
21.6.21	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई । अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश एवं धारा 5 मियाद में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने आदेश दिनांक 21.12.2020 के द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का न्यायोचित आदेश प्रदान नहीं करके केवल मात्र विपक्षीगण/रेस्पो0 को नोटिस जारी करने का अवैधानिक आदेश पारित किया है । उपरोक्त प्रकरण में रेस्पो0 द्वारा बिना बंटवारा कराये ही विवादित भूमि पर पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसे वाद के निस्तारण से पूर्व रोका जाना आवश्यक था । जब सहखातेदारों के मध्य विवादित आराजी का बंटवारा नहीं हो जाता है सभी का समान अधिकार माना जाता है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने केवल मात्र नोटिस जारी करने के गैर कानूनी आदेश प्रदान किये है जो निरस्तनीय है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों की पालना में कोरोना महामारी एवं लोकडाउन काल में प्रकरण को प्रस्तुत करने में किसी प्रकार का विलंब होता है तो वह क्षमा किये जाने योग्य है । न्यायहित में कोरोना महामारी एवं लोकडाउन के कारण अपील प्रस्तुत करने में जो विलंब हुआ है वह उपरोक्त सद्भाविक कारण होने से क्षमा किये जाने योग्य है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे सद्भाविक होने से न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस/प्रार्थीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 दिनांक 21.12.2020 को पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर अप्रार्थीगण की और से दिनांक 23.12.2020 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की और से श्री रामदेव गुर्जर, अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 21.12.2020 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये है । यह आदेश अंतरिम आदेश है न कि अंतिम आदेश । विधिनुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संधारण योग्य नही है किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश हो चुका है । हम न्यायहित में पक्षकारान के समय एवं आर्थिक मितव्यता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर निर्णित कर अधी0न्याया0 को प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को 30 दिवस में निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित करना न्यायोचित समझते है । उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपराहि

124/21/225 रामस्वरूप उर्फ राजू व/ऽ रघुनाथ

तथा प्रकरण अधी०न्यायाा० को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज०काश्त०अधि० पर उभयपक्षकारान को सुनकर प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 21 · 6 · 2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

21/6/2021

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी,
अजमेर